सं0 4-2/2009-एनपीवाईएडी

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम विभाग

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2008-09 के लिए आवेदन मंगवाना

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग वर्ष 2008-09 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हेतु पात्र व्यक्ति यों तथा गैर-सरकारी संगठनों से आवेदन/नामांकन आमंत्रित करता है |

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए उन आवेदकों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने "वर्षा जल संरक्षण सहित पर्यावरण संरक्षण" के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया हो |

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार स्कीम (2008-09) का संपूर्ण पाठ मंत्रालय की वेबसाइट www.yas.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है/डाउनलोड किया जा सकता है | पात्र इच्छुक व्यक्तियों/संगठनों से अनुरोध है कि वे अपने नामांकन /आवेदन युवा कार्यक्रम विषय को देखने वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रशासनों के संबंधित सचिव को प्रस्तुत कर दें | संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र संघ राज्य प्रशासन को आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2009 है |

उप सचिव

युवा कार्यक्रम विभाग

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

7 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार: (राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के अनुबंध ख में दिए ब्यौरे के अनुसार)

7.1 पुरस्कार के लक्ष्य:

क. राष्ट्रीय अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए युवाओं (13-35 वर्ष की आयु के मध्य) को प्रोत्साहित करना |

ख. युवाओं को अपने स मुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे अच्छे नागरिकों के रुप में अपनी खुद की व्यक्तिगत क्षमताओं में सुधार ला सके |

ग. राष्ट्रीय विकास और /अथवा समाज सेवा के लिए युवाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहन देना |

घ. राष्ट्रीय विकास और /अथवा समाज सेवा के लिए युवाओं के साथ मिलकर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करना |

7.2 पुरस्कार का विवरण:

क. पुरस्कार विभिन्न विकास गतिविधियों तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृ ष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा |

ख. प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या साधारणत : 25 से अधिक नहीं होगी | इसमें उपयुक्त मामले में संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के विवेक के अनुसार विविधता हो सकती है |

ग. एक युवा पुरस्कार राष्ट्रीय विकास के वि भिन्न कार्यों में युवाओं को शामिल करने के कार्य में लगे हुए एक स्वैच्छिक संगठन को दिया जाएगा |

घ. व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कार में एक पदक , एक पट्टिका और 40,000/-रु0 होंगे |

ड. स्वैच्छिक युवा संगठनों के लिए पुरस्कारों में एक पदक, एक पट्टिका और 2,00,000/-रु0 होंगे | वैयक्तिक पुरस्कार विजेता अपनी परंपतागत पोशाक में पुरस्कार ग्रहण करेंगे |

7.3 पात्रता की शर्तें :

7.3.1 व्यक्तियों के लिए:

क. उसकी आयु 13-35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए , उसकी आयु अर्थात वित्त वर्ष की पहली अप्रैल को जिसके लिए उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, 13 वर्ष की हो चुकी हो तथा उस वित्त वर्ष की 31 मार्च को 35 वर्ष से अधिक न हो | तथापि ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी जो 18-30 वर्ष की आयु समूह के हो |

ख. उसने उस वर्ष से पहले जिसके लिए उसे पुरस्कार दिया जा रहा है , लगातार पिछले तीन वर्षों से पाँच वर्षों तक प्रासंगिक क्षेत्र में सेवा अर्पित की हो तथा पुरस्कार प्रदान करने के बाद भी ऐसी गतिविधियों में कम से कम और दो वर्षों तक उसके कार्य करने की संभावना हो |

ग. अर्पित की गई सेवा स्वैच्छिक आधार पर होनी चाहिए तथा समुदाय /समाज पर उसका उल्लेखनीय प्रभाव होना चाहिए |

घ. उसके द्वारा की गई सेवा का प्रभाव स्पष्ट रुप से परिलक्षित , मुख्यत: गुणात्मक होना चाहिए |

7.3.2 **स्वैच्छिक संगठन**

- क. पिछले तीन सालों के लिए सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 के अधिनियम xxii) अथवा संगत राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उसका उपयुक्त संविधान अथवा संस्था के अंतर्नियम होने चाहिए;
- ख. उसका उपयुक्त रुप से गठित प्रबंधन निकाय होना चाहिए जिसकी शक्तियां और कर्तव्य स्पष्ट रुप से उसके संविधान में परिभाषित किए गए हों;
- ग. वह उस स्थिति में होना चाहिए कि अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने हेतु विद्वान व्यक्तियों की स्वैच्छिक आधार पर भागीदारी को सुरक्षित कर सके;
- घ. वह किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लिए लाभदायक न हो;
- ङ. लिंग, धर्म, जाति अथवा पंथ के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के खिलाफ भेदभाव न करे;
- च. उसने पिछले तीन वर्षों से संबंधित क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी से सेवा की हो और वह ऐसा संगठन होना चाहिए जो पुरस्कार मिलने के बाद कम से कम अगले दो वर्षों तक संबंधित क्षेत्र में कार्यरत रहे ; उन स्वैच्छिक संगठनों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए चलाए जा रहे हों;

छ. उसको पहले यह पु रस्कार प्रदान न किया गया हो (ऐसी एजेंसियां जो एक बार पुरस्कार के लिए अभिशंसित की जाती है और उनका अंतिम रुप से चयन नहीं होता, उनको, तथापि दोबारा अभिशंसित किया जा सकता है |)

ज. स्थानीय समुदाय में उसका अच्छा सम्मान होना चाहिए और

झ. इसके द्वारा प्रदान की गई सेवा का प्रभाव स्पष्ट रुप में पहचानने योग्य होना चाहिए, अधिमानत: मात्रात्मक रुप से |

7.4 प्रस्तावों को प्रस्तुत करना

क. राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रपत्र इन मार्गनिर्देशों के अनुबंध- 1 और अनुबंध-2 में दिए गए हैं; और

ख. विश्वविद्यालय/कालेज, स्थानीय विकास संबंधी विभाग , स्वैच्छिक एजेंसियां, निजी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम , नेहरु युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि तथा स्वयं व्यक्ति प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संबंधित सचिव को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे |

ग. उपर्युक्त संगठनों से प्राप्त सिफारिशों के अतिरिक्त , विभिन्न स्तरों पर चयन समिति, अपने विवेक पर, गुणों के आधार पर, उन व्यक्तियों अथवा युवा संगठनों का चयन कर सकती है जो किसी के द्वारा भी अभिशंसित नहीं है परंतु चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए हैं |

घ. विचार किए जाने वाले प्रस्ता व के साथ अभ्यर्थी के तीन पास पोर्ट साइज फोटो और उनके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए |

7.5 **प्रस्तावों का मूल्यांकन:** राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के प्रयोजन हेतु विचार किए जाने वाले गतिविधियों के क्षे त्रों का निर्णय वर्षानुवर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वा रा किया जाएगा और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गंदी बस्तियों में सामाजिक कार्य , राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन , साहस, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी गतिविधियां , गैर-औपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा का र्यक्रम सामाज के कमजोर वर्गों , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने हेतु कार्य , राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यों को लोकप्रिय बनाने से संबंधित कार्य , स्काउटिंग और गाइडिंग और ऐसा कोई अन्य कार्य जो स्थानीय जरुरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण समझा गया है , शामिल हैं | राज्य सरकारें प्राथमिकता के क्षेत्रों का पता लगाएंगी और इन क्षेत्रों में अपने प्रयास संकेन्द्रित करने के लिए अपने युवाओं का आह्वान करेंगी |

7.6 **पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन:**

7.6.1 राज्य स्तर: प्राप्त आवेदनों पर, जैसा कि पैरा 7.4 (ख) में स्पष्ट किया गया है, राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता राज्य में युवा मामलों को देखने वाले विभाग के सचिव करेंगे | राज्य स्तरीय समिति की संरचना का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा | तथापि, समिति में युवा कल्याण, युवा विकास आदि के क्षेत्र में दो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे और केन्द्र सरका र, यदि इच्छुक है, तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की पहचान करने में राजय /संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सहायता करेगी | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय चयन समिति आवेदनों की जांच करेंगी और उन्हें केन्द्र सरकार को संस्तुत करेंगी जो राज्य /संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा चयनित युवा व्यक्तियों के अधिकतम 5 (पाँच) नामों का पैनल होगा | इसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन युवा कार्य में संलग्न अधिकतम दो स्वैच्छिक एजेंसियों को संस्तुत करेगा | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चयन समिति की सिफारिश सामान्यतया राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसका पूरा औचित्य देना होगा | राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ष 10 सितम्बर तक भेजेंगे |

7.6.2 राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय स्तर पर, केन्द्रीय चयन समिति राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों की जांच करेंगी और युवा पुरस्कारों का अंतिम चयन करेंगी | केन्द्रीय चयन समिति, अपने विवेक पर, पुरस्कार के लिए उन व्यक्तियों अथवा युवा संगठनों पर गुणों के आधार पर विचार कर सकती है जो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से संस्तुत नहीं होते |

7.7 पुरस्कार का प्रस्तुतीकरण

क) पुरस्कारों का प्रस्तुतीकरण राष्ट्रीय युवा महोत्सव (8-12 जनवरी) के दौरान एक विशेष समारोह में एक सुविधाजनक तारीखों और समय पर किया जाएगा जिसकी घोषणा प्रतिवर्ष की जाएगी |

ख) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रुप से आमंत्रित किया जाएगा |

ग) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रथम श्रेणी/ऐसी-2 टियर वापसी रेल किराया द्वारा यात्रा भत्ता/महँगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा और ठहरने का प्रबंध युवा

कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा | महिला और विकलांग पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने साथ एक सहायक लाने के हकदार हैं | उनकों भी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के समकक्ष यात्रा भत्ता /महँगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा |

घ) सिक्किम और जम्मू व कश्मीर सहित उत्तर- पूर्वी क्षेत्रों के पुरस्कार प्राप्तकर्ता और सहायकों को क्रमश: गुवाहाटी/कोलकाता अथवा जम्मू/दिल्ली तक दोनों तरफ के हवाई कि राए की अनुमति प्रदान की जा सकती है | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के पुरस्कार प्राप्तकर्ता और सहायक पुरस्कार के स्थल तक दोनों तरफ के हवाई किराए के हकदार हैं |

7.8 सामान्य:

क) भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपने विवेक से बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस संहिता में संशोधित करने के लिए सक्षम है |

ख) पुरस्कारों और उसके अनुषंगिक सभी खर्चों के लिए आवश्यक निधि, जो सरकार द्वारा अनुमोदित है , भारत सरकार , युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी |

ग) विवाद के मामले में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए बाध्य होगा |

घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पुरस्कार के लिए सचिवालय उपलब्ध कराएगा |